

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम तथा पूनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :**

(क) और (ग). जी नहीं। मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह, आवश्यकता के अनुसार ऐसी कार्यवाही करें।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

**विधि मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग**

588. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि के क्षेत्र तथा विधि मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग के बारे में और कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या भविष्य में क्रियान्वित के लिए कोई अन्य कार्यक्रम भी बनाए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

**विधि मंत्रालय में उपाय मंत्री (श्री मु० यूनेस सलोम) :** (क) लोक-सभा के गत सत्र की समाप्ति से अब तक राजभाषा (विधायी) आयोग ने 10 और केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी पाठों को अन्तिम रूप दे दिया है। इस प्रकार उन केन्द्रीय अधिनियमों की, जिनके हिन्दी पाठों को अन्तिम रूप दे दिया गया है, कुल संख्या 91 हो गई है। आयोग ने संसद् में पुरःस्थापित किए गए 140 विधेयकों का हिन्दी अनुवाद भी प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त आयोग ने उन केन्द्रीय अधिनियमों के, जिनके हिन्दी पाठों को अन्तिम रूप दिया गया है, अधीन निम्न 58 नियमों के हिन्दी पाठों को भी अन्तिम रूप दिया है।

जहां तक इस मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का प्रश्न है इस सम्बन्ध में यह

निवेदन है कि इस मंत्रालय के मुख्य विधिक सलाह देना और विधान का प्रारूपण है। विधिक सलाह प्रायः भारत सरकार के उन मंत्रालयों / विभागों की फाइलों पर दी जाती है जो उन्हें इस मंत्रालय को निर्देशित करते हैं ; और ऐसे मामलों में आफिसर और कर्मचारीवृन्द के लिए हिन्दी में काम करने को अत्रिक गुंजाइश नहीं है। जहां तक कानूनों, अध्यादेशों, विनियमों, नियमों, आदेशों आदि का हिन्दी में अनुवाद का प्रश्न है इस से सम्बद्ध सभी कार्य (जिसमें टिप्पण आदि भी आते हैं) हिन्दी में किया जाता है। विधि मंत्रालय द्वारा सभी संकल्प, अधिसूचनाएं और प्रशासनिक रिपोर्टें अंग्रेजी और हिन्दी में साथ-साथ निकाली जा रही हैं। हिन्दी भाषी राज्यों या जनता से हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उतर सदैव हिन्दी में दिए जाते हैं, या उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भेजा जाता है। प्रशासन अनुभाग जैसे अनुभागों में, जहां कहीं सम्भव है, हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों पर नेमी कार्य हिन्दी में करने पर कोई भी निर्बन्धन नहीं है।

(ख) और (ग). विधि मंत्रालय को हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णयों को अन्तर्विष्ट करने वाली दो विधि पत्रिकाओं को हिन्दी में प्रकाशित करने की और हिन्दी भाषी राज्यों के विश्व-विद्यालयों के एल० एल० बी० पाठ्यक्रम के लिए मानक विधि पुस्तकें तैयार करने और प्रकाशित करने की भी प्रस्थापना है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के परामर्श से इस बाबत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

FOOD CORPORATION OF INDIA

589. SHRI M. N. REDDY: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the annual staff and other

maintenance expenses of the Food Corporation of India since its inception; and

(b) the total amount spent so far on the construction or purchase of buildings for housing its offices and godowns?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The annual staff and other maintenance expenses of the Food Corporation of India since its inception during the financial years 1964-65 to 1966-67 are as under:

(Figures in laks of Rupees)

1964-65 ..	Rs. 5.01	
1965-66 ..	Rs. 173.39	
1966-67 ..	Rs. 344.58	The figures for 1966-67 are provisional as the accounts of FCI have not yet been finalised.

(b) The total amount spent by the Corporation on payment of godowns transferred to it by the Central Government and the construction of new godowns as on 31-3-1967 is about Rs. 1086.17 lakhs. No amount has been spent for construction or purchase of building for offices.

#### DELHI MILK SCHEME

590. SHRI JYOTIRMOY BASU:  
SHRI K. M. ABRAHAM:  
SHRI GANESH GHOSH:  
SHRI BHAGABAN DAS:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Milk Scheme has incurred huge loss during the current financial year;

(b) if so, the total loss incurred so far;

3126(A) LSD—7.

(c) whether Government propose to investigate into th matter; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The financial year 1967-68 has not yet close and hence the accounts for the year have not been finalised.

(b) The total loss incurred by the Scheme upto March, 1967, since its inception is Rs. 194.56 lakhs. Year-wise details are given below:

Year	(Loss in lakhs of Rs.)
Nov. 1959-61	5.02
1961-62	4.16
1962-63	10.64
1963-64	23.10
1964-65	97.77
1965-66	39.21
1966-67	14.66
Total	194.56

(c) Working of Scheme has been thoroughly investigated by a Team of Experts.

(d) Does not arise in view of (c) above. The principal reason for the loss is the difference between the high price at which milk had to be purchased by the D.M.S. and the sale price charged to consumers.

#### PROCUREMENT PRICE IN ANDHRA PRADESH AND MADRAS

591. SHRI N. SREEKANTAN NAIR: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the procurement price of paddy in Andhra Pradesh and Madras; and

(b) the price at which rice and wheat are supplied to the deficit States of Kerala and West Bengal?